रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 260] नई दिल्ली, बुधवार, जून 12, 1974/ज्येष्ठ 22, 1896
No. 260] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 12, 1974/JYAISTHA 22, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 12th June 1974

S.O. 362(E)/18A/IDRA/74.—In exercise of the powers conferred by section 18A of the Industries (Development and Regulation Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendment in the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. S.O. 608(E)/18A/IDRA/72, dated the 18th September, 1972, namely:—

In the said Order, for the headings "Chairman" and "Members" and the entries there under, the following headings and entries shall be substituted, namely:—

Chairman

1. Shri G. Saha, Partner, Ray & Ray, Chartered Accountants, 6, Church Lane, Calcutta-1.

Members

2. Shri B. P. Roy, Ex-Director, Company Law Board, 35, Janak Road, Calcutta-29.
3. Shri M. K. Mandal, Assistant General Manager, Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, 19, Netaji Subhas Road, (2nd Floor), Calcutta-1.

[No. F. 25/5/72-CUC]

D. K. SAXENA, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 12 जून, 1974

का० आ०-366(अ)/18ए०/आई० डी० आर० ए०/74.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश संख्या का० आ० 608 (ई०)/18ए/आई०डी०आर० ए०/72, तारीख 18 सितम्बर, 1972 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में, 'अध्यक्ष' और 'सदस्य' शीर्षकों और उनके नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

अध्यक्ष

1—श्री जी० साहू,
भागीदार,
रे एण्ड रे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स,
6, चर्च लैन, कलकत्ता-1

सदस्य

2—श्री बी० पी० राय,
भूतपूर्व निदेशक, कम्पनी ला बोर्ड,
35, जनक रोड,
कलकत्ता-29।

3—श्री एम० के० मण्डल,
सहायक महा प्रबन्धक,
इण्डस्ट्रीयल रीकंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,
19, नेताजी सुभाष रोड, (तीसरी मंजिल),
कलकत्ता-1।

[सं० फा० 25/5/72-सी० यू० सी०]
डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974